NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-01-2025

विषय सूची

राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन: जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा

नए मसौदा ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप

कैबिनेट ने जूट के MSP में 6% बढ़ोतरी की घोषणा की

संक्षिप्त समाचार

मन्नान समुदाय

माउंट एवरेस्ट

शत्रु संपत्ति अधिनियम (Enemy Property Act)

क्रॉसपैथी

स्टारगेट परियोजना (Stargate Project)

ब्लैक होल

आर्कटिक बोरियल जोन

राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन: जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा

समाचार में

- राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

जनजातीय समुदायों का परिचय

- जनजातीय समुदायों में समृद्ध परंपराएँ, संस्कृतियाँ एवं विरासत होती हैं, साथ ही उनकी जीवन शैली और रीति-रिवाज़ भी अद्वितीय होते हैं।
- जनजातियाँ प्रायः भौगोलिक रूप से अलग-थलग रहती हैं और गैर-जनजातीय समुदायों की तुलना में अधिक समरूप तथा आत्मनिर्भर होती हैं।

भारत में स्थिति

- भारत में जनजातियों को सबसे पुराने नृवंशविज्ञान समूहों में से एक माना जाता है, जिन्हें प्रायः "आदिवासी" (मूल निवासी) कहा जाता है।
  - "आदिवासी" शब्द को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उन्हें "स्वदेशी" के रूप में वर्गीकृत किया है।
- भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है, जिसमें लगभग 100 मिलियन जनजातीय लोग (आदिवासी) हैं।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9% है।
- **बस्ती:** पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट जातीयता वाली जनजातियाँ निवास करती हैं, और वे सामान्यतः मुख्यधारा के समाज से अलग-थलग हैं।
  - भारत की 80% से अधिक जनजातियाँ मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहती हैं: इन जनजातियों का पूर्वोत्तर जनजातियों की तुलना में गैर-आदिवासी समुदायों के साथ अधिक संपर्क है।

क्या आप जानते हैं ?

- रामायण और महाभारत काल से ही आदिवासी लोग भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहे हैं।
- खासी-गारो, मिज़ो और कोल आंदोलन जैसे आदिवासी आंदोलन भारत के इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम के महत्त्वपूर्ण अध्याय हैं।
  - महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले गोंड महारानी वीर दुर्गावती, रानी कमलापति और भीलों जैसे आदिवासी नायकों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- केंद्र सरकार ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के योगदान को मान्यता देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर, 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया।

जनजातीय विकास के लिए सरकारी पहल:

- भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए अनेक पहल प्रारंभ की हैं।

- **ट्राइफेड(TRIFED):** ट्राइफेड (भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड) की स्थापना 1987 में आदिवासी समुदायों को समर्थन देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण आदिवासी जनसंख्या वाले गांवों में बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN), विशेष रूप से सुभेद्य आदिवासी समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए 2023 में प्रारंभ किया गया।
- **राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन:** इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के सहयोग से किया जाता है।
    - यह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है।
    - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई।
    - आदिवासी स्वास्थ्य पर शोध के लिए एम्स दिल्ली में आदिवासी स्वास्थ्य और हेमटोलॉजी की भगवान बिरसा मुंडा पीठ की स्थापना की गई।
- **आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान में आदिवासी समुदायों, उनकी संस्कृति और विकास की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
    - आदिवासी कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को धन आवंटित किया जाता है।

चुनौतियाँ:

- भारतीय जनजातीय समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करना और उनके अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करना शामिल है।
- कई जनजातियों को गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।
- भेदभाव, निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व की कमी और पारंपरिक ज्ञान का ह्रास उनकी कमज़ोरियों को बढ़ाता है।

निष्कर्ष और की राह

- जनजातीय क्षेत्र काफी हद तक अविकसित हैं और भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यहीं रहता है।
- उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना और समझना, उनके पारंपरिक ज्ञान एवं प्रथाओं को पहचानना तथा उनकी भूमि एवं संसाधनों से संबंधित निर्णयों में उन्हें शामिल करना आवश्यक है।

- इन चुनौतियों का समाधान करने और उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए सरकारी नीतियाँ एवं पहल महत्त्वपूर्ण हैं। और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है, जिससे उनकी अद्वितीय चुनौतियों का समाधान हो सके।

Source :PIB

नए मसौदा ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश

संदर्भ

- सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तैयार 'ई-कॉमर्स – स्व-शासन के लिए सिद्धांत और दिशा-निर्देश' शीर्षक से मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत में ई-कॉमर्स बाज़ार

- भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 363.30 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
  - ई-कॉमर्स भारत के कुल खुदरा बाजार का लगभग 7% हिस्सा है।
- 2030 तक, भारत में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस होने का अनुमान है, जिसमें अनुमानित 500 मिलियन शॉपर्स होंगे।
- इस क्षेत्र को इंटरनेट की बढ़ती पहुँच, बढ़ती समृद्धि और सस्ती डेटा कीमतों से लाभ हुआ है।

मसौदा दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधान

- **लेन-देन से पहले सत्यापन:** ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को विक्रेताओं, विशेष रूप से तृतीय-पक्ष विक्रेताओं के लिए अपने ग्राहक को जानें (KYC) जाँच करने की आवश्यकता होती है।
  - इसमें विक्रेताओं के पहचान विवरण, कानूनी इकाई का नाम, संपर्क जानकारी और व्यावसायिक पते की प्रामाणिकता की पुष्टि करना शामिल है।
- **विस्तृत उत्पाद लिस्टिंग:** विक्रेताओं को शीर्षक, छवियाँ, विनिर्देश और शिपिंग मोड सहित व्यापक उत्पाद जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
  - यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता सटीक उत्पाद विवरणों के आधार पर सूचित निर्णय ले सकें।
- **पारदर्शी अनुबंध शर्तें:** दिशा-निर्देश पारदर्शी अनुबंध शर्तों के महत्त्व पर बल देते हैं, जिसमें उत्पाद विवरण, मूल्य विखंडन, वापसी नीतियाँ और सुरक्षा चेतावनियों का स्पष्ट प्रकटीकरण शामिल है।
- **सुरक्षित भुगतान:** ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और दो-कारक प्रमाणीकरण के साथ सुरक्षित भुगतान प्रणाली लागू करनी चाहिए।
  - क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाइल भुगतान, ई-वॉलेट और बैंक हस्तांतरण सहित विविध भुगतान विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए।
- **समय पर धनवापसी और वापसी:** नकली उत्पादों से निपटने के प्रावधानों के साथ धनवापसी, प्रतिस्थापन और विनिमय के लिए स्पष्ट समयसीमा स्थापित की जानी चाहिए।
- **उपभोक्ता समीक्षाएँ और रेटिंग:** सभी उपभोक्ता समीक्षाएँ और रेटिंग IS 19000:2022 मानकों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

- **डेटा सुरक्षा:** ई-कॉमर्स संस्थाओं को डेटा सुरक्षा विनियमों का पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ताओं से एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल लेनदेन की सुविधा और अन्य प्रकट उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- **कोई तरजीही उपचार नहीं:** दिशा-निर्देश सभी हितधारकों के लिए समान अवसर बनाए रखने के लिए किसी भी विक्रेता या सेवा प्रदाता के साथ तरजीही व्यवहार को प्रतिबंधित करते हैं।
    - इसमें नकली उत्पादों की बिक्री को रोकने और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को लागू करना सम्मिलित है।

भारत में ई-कॉमर्स मॉडल

- **बिजनेस टू कंज्यूमर (B2C):** Amazon, Flipkart और Myntra जैसे प्लेटफॉर्म इस मॉडल पर काम करते हैं।
- **बिजनेस टू बिजनेस (B2B):** यह विशेष तौर पर विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए प्रासंगिक है, जहां कंपनियां आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल, मशीनरी और अन्य आपूर्ति खरीदती हैं।
    - उड़ान और अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म इस सेगमेंट को पूरा करते हैं, थोक लेनदेन और आपूर्ति श्रृंखला समाधान की सुविधा प्रदान करते हैं।
    - B2B ई-कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति है।
- **कंज्यूमर टू कंज्यूमर (C2C):** OLX और Quikr जैसे प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को अपने आइटम सूचीबद्ध करने और बेचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे पीयर-टू-पीयर लेनदेन के लिए बाज़ार उपलब्ध होता है।
- **बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन (B2A) और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन (C2A):** सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) B2A प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, जो वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

सरकार के अन्य कदम

- भारत सरकार ने ई-कॉमर्स के विकास को समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढाँचा शामिल है।
- राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति, 2019 का मसौदा डेटा स्थानीयकरण, उपभोक्ता संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर केंद्रित है।
- **डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क:** यह विकेंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यापार करने की लागत को कम करने में सहायता करेगा।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):** यह सरकारी विभागों द्वारा सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। यह छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) के लिए ई-कॉमर्स में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

- मसौदा दिशा-निर्देश ई-कॉमर्स क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का समाधान करते हुए स्व-नियमन, उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता पर बल देते हैं।

- भारत के तीव्रता से बढ़ते ई-कॉमर्स विकास के साथ, ये उपाय एक निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता-अनुकूल बाज़ार सुनिश्चित करेंगे, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Source: TH

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप

संदर्भ

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप' शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है।

परिचय

- **कार्यप्रणाली:** रिपोर्ट में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) और एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा विकसित वैश्विक रूप से अपनाई गई कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया है।
- रिपोर्ट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विश्वसनीय, समझने योग्य और वर्तमान संभावनाओं के पहले सेट को संकलित करने का एक प्रयास है।

प्रमुख विशेषताएँ

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 11.74% थी और 2024-25 तक बढ़कर 13.42% होने की संभावना है।
- **विकास:** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ने की संभावना है, जो 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग पाँचवाँ भाग योगदान देगी।
    - छह वर्ष से भी कम समय में, डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा देश में कृषि या विनिर्माण से बड़ा हो जाएगा।

Figure 4: GVA of India's Digital Economy, 2022-23

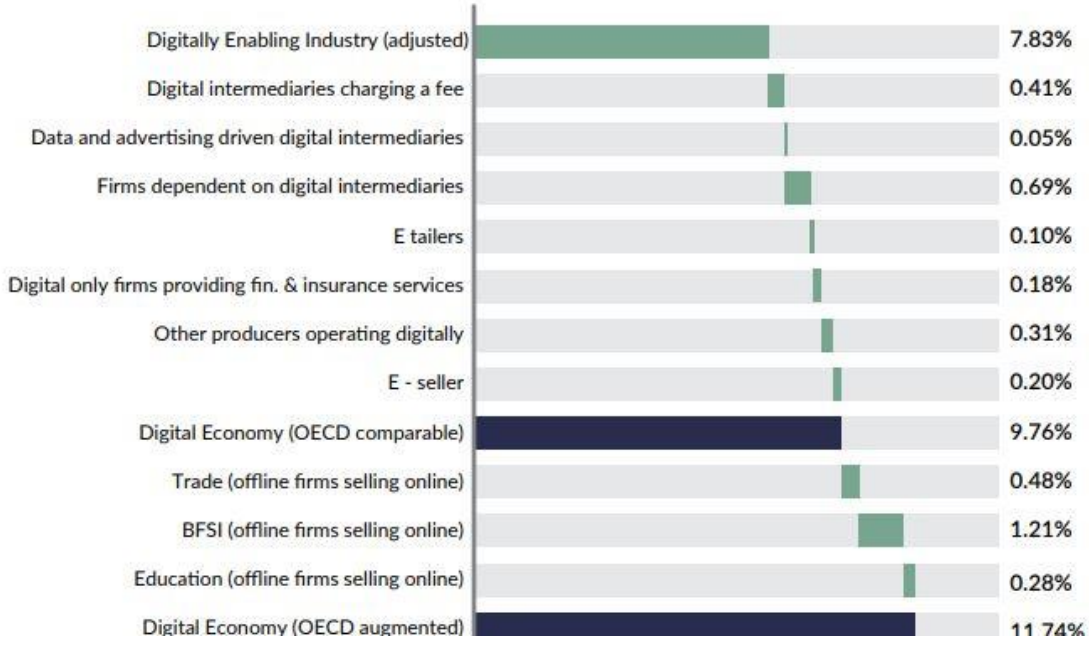

- **रोज़गार सृजन:** 2022-23 में, डिजिटल अर्थव्यवस्था में 14.67 मिलियन कर्मचारी या भारत के अनुमानित कार्यबल का 2.55% हिस्सा होगा।
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था लगातार ICT उद्योगों के दायरे से आगे बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों में फैल रही है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य

- **मोबाइल सब्सक्रिप्शन:** विश्व भर में अनुमानित 8.36 बिलियन मोबाइल सेलुलर उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- **5G परिनियोजन:** एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के अंत तक, भारत की 10% जनसंख्या 5G की सदस्यता ले चुकी होगी।
    - 2024 की पहली छमाही में भारत चीन के बाद 5G स्मार्टफ़ोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार बन गया।
- **डिजिटल भुगतान:** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 1644 बिलियन से अधिक डिजिटल लेन-देन हुए, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक मात्रा है।
- **ICT सेवा निर्यात:** 2023 में, भारत का ICT सेवा निर्यात आयरलैंड के पश्चात् विश्व में दूसरे स्थान पर रहा।
- **AI परियोजनाएँ:** AI परियोजनाओं के लिए GitHub में भारत का योगदान विश्व में सबसे अधिक 23% है, इसके बाद अमेरिका (14%) का स्थान है।
- **यूनिकॉर्न:** अप्रैल 2024 तक, अमेरिका और चीन के बाद, देश के हिसाब से घरेलू यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में थी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सिफारिशें

- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और बिचौलियों के लिए विनियामक अनिश्चितता को कम करना।
- डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास के लिए सहयोगात्मक और ठोस प्रयास अपनाना।
- व्यापार करने में आसानी बढ़ाना।
- साइबर सुरक्षा और विश्वास बढ़ाना।
- मोबाइल कवरेज के पूरक के रूप में लचीले फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना।

Source: ET

कैबिनेट ने जूट के MSP में 6% बढ़ोतरी की घोषणा की

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6% की वृद्धि को मंजूरी दी।

परिचय

- भारतीय जूट निगम (JCI) मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए अपनी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।
- ऐसे संचालनों में होने वाली हानि , यदि कोई हो, की पूरी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- **MSP:** यह कृषि उत्पादकों को कृषि मूल्यों में किसी भी तीव्र गिरावट के विरुद्ध बीमा करने के लिए सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है।
    - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में सरकार द्वारा कीमतों की घोषणा की जाती है।
- **MSP के अंतर्गत आने वाली फसलें**
    - **खरीफ फसलें** (कुल 14) जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर/अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर बीज, कपास;
    - **रबी फसलें** (कुल 06) जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर/मसूर, रेपसीड और सरसों, और कुसुम;
    - **वाणिज्यिक फसलें** (कुल 02) जैसे जूट और खोपरा।

भारत में जूट उत्पादन

- प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होने के कारण इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है।
- भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है।
    - हालाँकि, क्षेत्रफल और व्यापार के मामले में, बांग्लादेश वैश्विक जूट निर्यात का तीन-चौथाई भाग भारत के 7% की तुलना में सबसे आगे है।
    - अधिकांश जूट की खपत घरेलू स्तर पर ही होती है, क्योंकि घरेलू बाजार में इसकी माँग बहुत ज़्यादा है, कुल उत्पादन का औसत घरेलू खपत 90% है।
- जूट क्षेत्र देश में लगभग 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है।
- पश्चिम बंगाल, बिहार और असम भारत के कुल उत्पादन का लगभग 99% उत्पादन करते हैं।

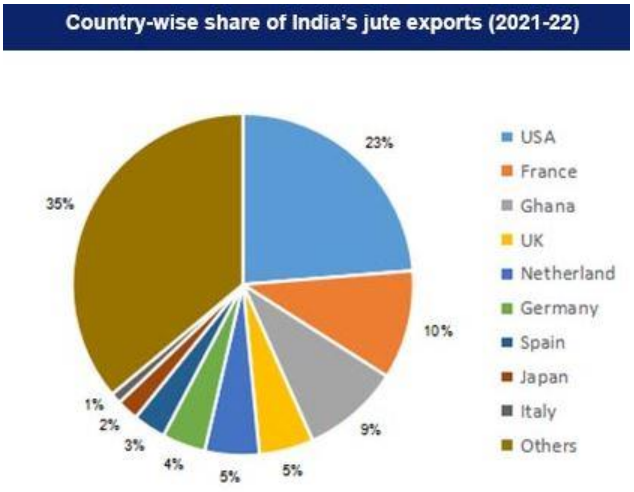

जूट उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ

- **तापमान:** 34°C और 15°C का औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान तथा 65% की औसत सापेक्ष आर्द्रता आवश्यक है।
- **वर्षा:** लगभग 150-250 सेमी.
- **मृदा:** जूट को चिकनी मृदा से लेकर रेतीली दोमट मृदा तक सभी प्रकार की मृदा पर उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है।

भारत में जूट उद्योग के लिए चुनौतियाँ

- **सिंथेटिक फाइबर से प्रतिस्पर्धा:** जूट को पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिन्हें प्रायः अधिक बहुमुखी एवं लागत प्रभावी माना जाता है।
- **नवाचार और उत्पाद विविधीकरण की कमी:** उद्योग सीमित उत्पाद नवाचार और विविधीकरण के मामले में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- **गुणवत्ता संबंधी मुद्दे:** सड़ांध के अंतर्गत, जूट के बंडलों को लगभग 30 सेमी की गहराई पर पानी के नीचे रखा जाता है। यह प्रक्रिया फाइबर को चमक, रंग और मजबूती देती है।
  - इसे आदर्श रूप से नदियों जैसे धीमी गति से बहने वाले, स्वच्छ जल निकायों में किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय किसानों के पास ऐसे संसाधनों तक पहुँच नहीं है।
- **भारत में जूट मिलों की समस्याएँ:** जूट मिलें मशीनरी आधुनिकीकरण, कुप्रबंधन, श्रम की कमी और अशांति एवं सरकार पर निर्भरता के मुद्दों का सामना कर रही हैं।
- **मूल्य में उतार-चढ़ाव:** जूट की कीमतें अस्थिर हैं, जो जलवायु परिस्थितियों और आपूर्ति-मांग असंतुलन से प्रभावित होती हैं, जो उद्योग की स्थिरता को प्रभावित करती हैं।

जूट उत्पादन के लिए सरकारी कदम

- जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखना।
  - सरकार ने खाद्यान्नों के लिए 100% और चीनी के लिए 20% आरक्षण रखा है, जिन्हें जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाना है।
- कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)।
- सरकार ने जूट क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम (NJDP) नामक एक व्यापक योजना को मंजूरी दी है।

एनजेडीपी में निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं:

- **उन्नत खेती और उन्नत सड़ांध प्रक्रिया (जूट आईकेयर):** जूट की खेती और सड़ांध प्रक्रिया के वैज्ञानिक तरीकों का एक पैकेज प्रारंभ करना।
- **जूट संसाधन सह उत्पादन केंद्र (JRCPC):** नए कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करके जूट विविधीकरण कार्यक्रमों का प्रसार करना।
- **जूट कच्चा माल बैंक (JRMB):** मिल गेट मूल्य पर JDPs के उत्पादन के लिए जूट कारीगरों, एमएसएमई को जूट कच्चा माल उपलब्ध कराना।

- **जूट डिजाइन संसाधन केंद्र (JDRC):** बाजार योग्य नवीन जूट विविध उत्पादों के डिजाइन एवं विकास के लिए और वर्तमान तथा नए JDPs निर्माताओं और निर्यातकों की सहायता करना।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:** JDPs के विनिर्माण और निर्यात के लिए जूट मिलों और MSME JDP इकाइयों का समर्थन करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लागत प्रतिस्पर्धी बनाना।
- **बाजार विकास संवर्धन गतिविधियाँ (घरेलू और निर्यात):** गुणवत्ता वाले जूट विविध उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जूट मार्क लोगो का विकास और जूट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान प्रारंभ करना।

जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (JCI)

- JCI को भारत सरकार द्वारा 1971 में एक मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उत्पादकों से कच्चे जूट की खरीद करना था।
- इसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि जूट की खेती में लगे लगभग 4.00 मिलियन परिवारों के हितों की रक्षा करना एक सामाजिक उद्देश्य है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

मन्नान समुदाय

समाचार में

- मन्नान समुदाय के प्रमुख अनुसूचित जनजाति (SC) विकास विभाग के अतिथि के रूप में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे।
  - वह केरल के एकमात्र आदिवासी राजा हैं।
  - यह पहली बार है जब कोई जनजातीय राजा परेड में भाग लेगा।

मन्नान समुदाय का परिचय

- यह जनजाति मुख्य रूप से **कोझिमाला के इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य** के बफर जोन में निवास करती है, जो इस जनजाति का केंद्र है, जहां 48 बस्तियाँ हैं, जिन पर एक राजा का शासन है।
  - राजा समुदाय के पारंपरिक कार्यों और उत्सवों का एक अभिन्न अंग है।
  - ऐसे अवसरों पर वह **पगड़ी या टोपी और विशेष पोशाक** पहनते हैं और समारोहों के दौरान दो मंत्री और सैनिक उनकी सहायता करते हैं।
- वे अपनी अनूठी रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों तथा अपने पारंपरिक राजत्व के प्रति गहरी श्रद्धा बनाए रखते हैं।
  - अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वे **बुनियादी फसलें** उगाते हैं, **वन उपज एकत्र** करते हैं, तथा **शारीरिक श्रम या पशुपालन में संलग्न** होते हैं।
- **मन्नानकुट्टू** मन्नान समुदाय द्वारा प्रदर्शित एक अद्वितीय जनजातीय कला है।
  - यह क्लासिक **तमिल कविता सिलापथिकारम** की कहानी का वर्णन करता है।

Source :TH

माउंट एवरेस्ट

समाचार में

- नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए परमिट शुल्क 11000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15000 अमेरिकी डॉलर कर रही है, जिससे पर्वतारोहियों के लिए यह अधिक महंगा हो जाएगा।

माउंट एवरेस्ट

- यह **नेपाल और तिब्बत** के मध्य स्थित है।
- यह **8,849 मीटर ऊँचा विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत** है और इसके विभिन्न नाम हैं।
  - तिब्बती लोग इसे **'चोमोलुंगमा'** कहते हैं, जिसका अर्थ है **'विश्व की देवी माँ'** और इसी रूप में इस पर्वत की पूजा करते हैं।
  - नेपाली लोग इसे **'सागरमाथा'** कहते हैं, जिसका अर्थ है **'आकाश की देवी'।**
- **एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे** इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने।
- **बछेंद्री पाल** माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली **पहली भारतीय महिला** थीं।

Source: AIR

शत्रु संपत्ति अधिनियम(Enemy Property Act)

संदर्भ

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पटौदी परिवार की संपत्ति को **'शत्रु संपत्ति'** घोषित करने संबंधी सरकारी नोटिस के खिलाफ सैफ अली खान की याचिका निरस्त कर दी।

शत्रु संपत्ति क्या है?

- शत्रु संपत्ति से तात्पर्य भारत में उन **परिसंपत्तियों, संपदाओं या होल्डिंग्स** से है, जो युद्ध के समय भारत के शत्रु घोषित किए गए देशों के व्यक्तियों या संस्थाओं के स्वामित्व में थीं।
- ऐसी संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा शत्रु देशों द्वारा इन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, उपयोग या शोषण को रोकने के लिए स्थापित किया गया था।
- भारत में शत्रु संपत्तियाँ मुख्य रूप से **भारत-पाक युद्धों (1947, 1965 और 1971) एवं भारत-चीन युद्ध (1962)** से संबंधित हैं।

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968

- **शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968** शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- यह घोषित करता है कि शत्रु संपत्तियां प्रबंधन के लिए संरक्षक के पास निहित हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने तक मूल मालिकों या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

Source: IT

क्रॉसपैथी

समाचार में

- महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक निर्देश जारी कर आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर चुके होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएँ लिखने की अनुमति दे दी है।

क्रॉसपैथी

- क्रॉसपैथी एक ऐसी प्रथा है जिसमें एलोपैथिक दवाओं के साथ-साथ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएँ भी लिखी जाती हैं।
- हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार केमिस्ट इन योग्य होम्योपैथ से एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन स्वीकार करेंगे।
- **निर्देश को चुनौती:** इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने मरीज की सुरक्षा और होम्योपैथ को एलोपैथिक दवाएँ लिखने की अनुमति देने की वैधता पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश को चुनौती दी है।
    - होम्योपैथ को आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपनाने की अनुमति देने वाली 2017 की अधिसूचना पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसमें मरीज की सुरक्षा के लिए जोखिम पर प्रश्न उठाया गया था।
- **न्यायपालिका का दृष्टिकोण:** उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से निर्णय सुनाया है कि 'क्रॉसपैथी' - चिकित्सा की किसी अन्य प्रणाली से दवाएँ लिखने की प्रथा - सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने तक चिकित्सा लापरवाही का गठन करती है।
- **सरकार का दृष्टिकोण (Government's Stand)**: केंद्र सरकार डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) चिकित्सकों को बढ़ावा दे रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
    - लेकिन वैकल्पिक चिकित्सा चिकित्सकों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिए एक सावधान, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

Source :TH

स्टारगेट परियोजना(Stargate Project)

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए "स्टारगेट प्रोजेक्ट" के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण पहल प्रारंभ की है।

स्टारगेट क्या है?

- स्टारगेट एक **500 बिलियन डॉलर** की पहल है जिसे अगले चार वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह **ओपनएआई(OpenAI), सॉफ्टबैंक और ओरेकल** के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसमें शुरुआती **100 बिलियन डॉलर** का निवेश किया गया है।

- इस परियोजना में बड़े पैमाने पर AI प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती का समर्थन करने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर एवं परिसरों का निर्माण सम्मिलित है।
- स्टारगेट को संयुक्त राज्य अमेरिका के **पुनः औद्योगिकीकरण और इसकी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

Source: IE

ब्लैक होल

संदर्भ

- नासा के **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) और चंद्रा एक्स-रे वेधशाला(observatory)** का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक विचित्र ब्लैक होल की खोज की है।

परिचय

- नया पाया गया ब्लैक होल, जिसे **LID-568** नाम दिया गया है, एक **कम द्रव्यमान वाला सुपरमैसिव ब्लैक होल** है जो बिग बैंग के ठीक **1.5 बिलियन वर्ष** पश्च्यात अस्तित्व में आया था।
- ब्लैक होल अपने आस-पास के पदार्थ के बादल से ऊर्जा प्राप्त कर रहा था, जो खगोल भौतिकीविदों द्वारा तय की गई ऊपरी सीमा से **लगभग 40 गुना अधिक** था।

ब्लैक होल क्या है?

- ब्लैक होल एक अत्यंत सघन वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता।
- **विशेषताएँ**: ब्लैक होल में ग्रह या तारे की तरह कोई सतह नहीं होती। इसके बजाय, यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पदार्थ स्वतः विध्वंश हुए है।
    - इस प्रचंड विध्वंश के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में द्रव्यमान एक अविश्वसनीय रूप से छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है।

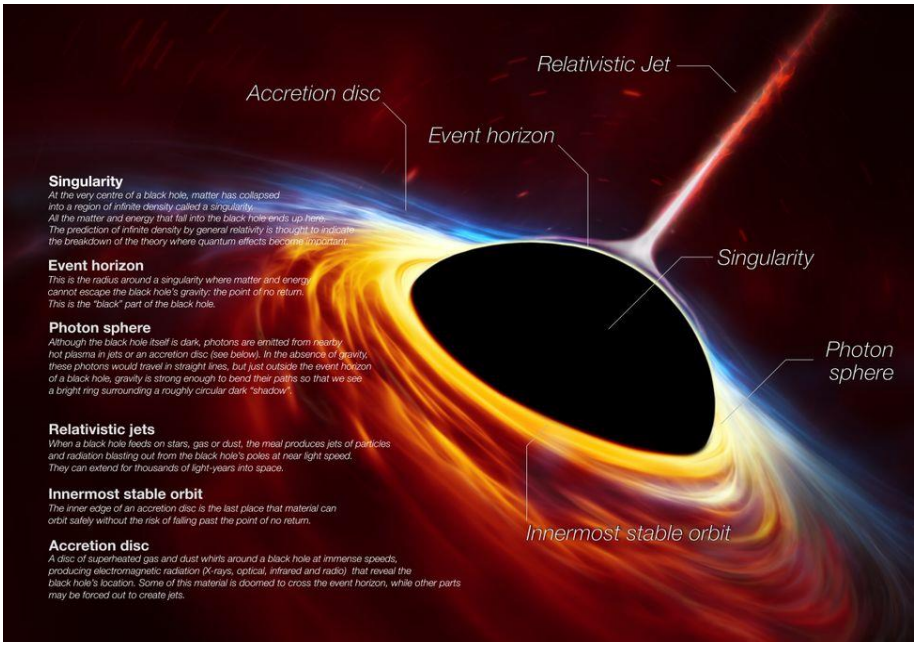

- **निर्माण:** ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी बहुत बड़े तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, वह विस्फोट कर जाता है, तथा उसके भार के कारण उसका केन्द्रक विस्फोटित हो जाता है, जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है।
    - ब्लैक होल का केन्द्र एक **गुरुत्वाकर्षण सिंगुलैरिटी (gravitational singularity)** होता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होता है, अर्थात जहाँ इसकी भविष्यवाणियाँ लागू नहीं होतीं।
    - ऐसा प्रतीत होता है की ब्लैक होल का **महान गुरुत्वाकर्षण बल, सिंगुलैरिटी** से निकलता है।

Source: TH

आर्कटिक बोरियल ज़ोन

संदर्भ

- एक नए शोध के अनुसार आर्कटिक बोरियल क्षेत्र, जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ता है।

परिचय

- ये निष्कर्ष राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA's) के 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड के अनुरूप हैं।
    - इसमें यह भी बताया गया है कि आर्कटिक टुंड्रा, एक वृक्षविहीन क्षेत्र, एक शुद्ध कार्बन स्रोत बन रहा है, जिसका मुख्य कारण उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि और वनाग्नि की बढ़ती गतिविधि है।
- आर्कटिक बोरियल क्षेत्र में वृक्षविहीन टुंड्रा, बोरियल वन और 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले आर्द्रभूमि शामिल हैं।

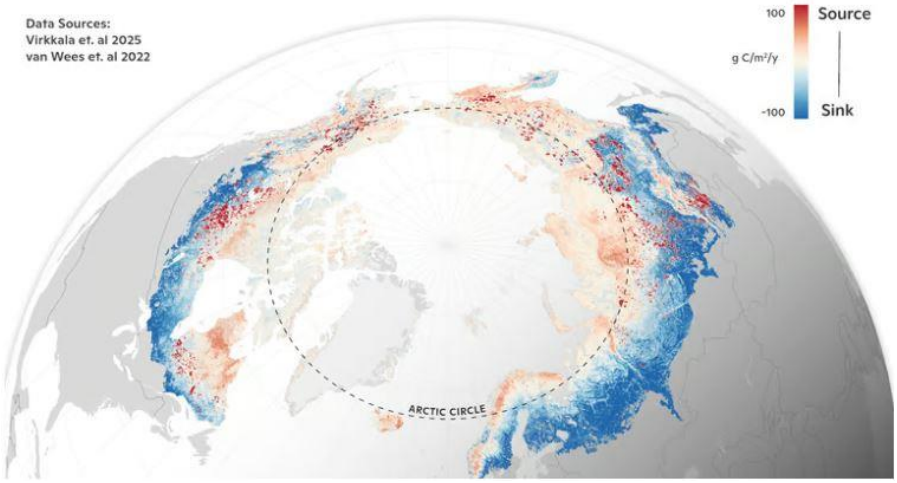

- **निष्कर्ष:**
    - कार्बन स्रोत क्षेत्र अलास्का (44%), उत्तरी यूरोप (25%), कनाडा (19%) और साइबेरिया (13%) में फैले हुए थे।

- टुंड्रा में लंबे समय तक चलने वाले गैर-ग्रीष्म ऋतु (सितंबर से मई) के दौरान होने वाले उत्सर्जन ने छोटे ग्रीष्म महीनों (जून से अगस्त) के दौरान अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को पीछे छोड़ दिया।
- इस क्षेत्र का 40% हिस्सा कार्बन स्रोत बन गया है।

- **कार्बन सिंक** वायुमंडल से जितना कार्बन छोड़ता है, उससे ज़्यादा अवशोषित करता है।
  - दूसरी ओर, कार्बन स्रोत जितना कार्बन अवशोषित करता है, उससे अधिक छोड़ता है।
- **कारण:** लंबे समय तक उगने वाले मौसम, बढ़ी हुई माइक्रोबियल गतिविधि और वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि।
- **चिंताएँ:** आर्कटिक बोरियल क्षेत्र मिट्टी के कार्बनिक कार्बन भंडार के रूप में जाना जाता है। इस बात की चिंता है कि मृदा के भंडार का कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा।
  - सीमित कार्बन अवशोषण के कारण पर्माफ्रॉस्ट पिघलना तेज़ हो रहा है।

Source: DTE